अध्याय - 12
भारतीय संविधान

हम पढ़ेंगे

12.1 संविधान की अवधारणा और आवश्यकता
12.2 संविधान सभा का गठन
12.3 प्रारूप समिति
12.4 भारतीय संविधान की प्रस्तावना
12.5 भारतीय संविधान की विशेषताएँ

किसी देश का संविधान, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान में शासन के सभी अंगों (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) की रचना, शक्तियाँ, कार्यों और दायित्वों का उल्लेख होता है। संविधान शासन के अंगों और नागरिकों के मध्य संबंधों को भी विनियमित करता है।

संविधान देश के आदर्शों व सिद्धातों को प्रगट करता है। संविधान जनता की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रकृत्ति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है।

12.1 संविधान की अवधारणा और आवश्यकता

शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यापालिका का गठन एवं उनके कार्यों और अधिकारों की सीमाओं के निर्धारण के लिये संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान के अभाव में शासन का सुचारु रूप से संचालित होना कठिन है और अराजकता की स्थिति निर्मित होने की प्रबल सम्भावना रहती है। संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्त्तव्यों का भी विवरण होता है। संविधान शासन व्यवस्था का आधार है।

''किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों के अनुसार चलाया जाता हैं उनके संकलित प्रलेख को संविधान कहते हैं।''

भारत का संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने विश्व के विद्यमान संविधानों के सर्वोत्तम लक्षणों को एकत्र किया और उन्हें अपने देश की आवश्यकता और विद्यमान दशाओं के अनुसार अंगीकृत किया। आयरलैण्ड के संविधान से नीति-निर्देशक तत्वों को लिया है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों का विचार ग्रहण किया है। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली है। भारतीय संविधान पर स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों हुए भारत के संवैधानिक विकास का भी बहुत प्रभाव हुआ हैं। इसके साथ ही इंग्लैण्ड की संवैधानिक परम्पराएँ, न्यायिक निर्णय, संवैधानिक टीकाएं और संविधान विशेषज्ञों की राय आदि का भी प्रभाव रहा।

12.2 संविधान सभा का गठन

भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश शासन तथा भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के नेतृत्वकर्ताओं के मध्य परस्पर सहमति से किया गया। उसका आधार 1946 की केबिनेट मिशन योजना रही।

केबिनेट मिशन 1946 - यह एक प्रतिनिधि मण्डल था जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमण्डल के तीन सदस्य थे। केबिनेट मिशन के सुझावों के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ।

संविधान निर्माण की अवधि एवं संविधान के लागू होने तक भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार देश का शासन संचालित होता रहा।

संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव तत्कालीन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर किया गया।

संविधान सभा में प्रान्तों से 292, देशी रियासतों (ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के कुछ भाग सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में नहीं थे। ऐसे भाग देशी रियासतें कहलाती थीं, ये रियासतें राजाओं के अधीन थीं तथा इनकी संख्या लगभग 562 थी। काश्मीर, हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, मैसूर, बडौदा, ट्रावनकोर (बड़ी रियासतें) से 93 तथा चीफ कमिश्नरियों से 4 प्रतिनिधियों का प्रावधान था। इस प्रकार इसमें कुल 398 सदस्य थे। संविधान सभा में जनसंख्या के अनुपात में सदस्य निर्धारित किए गए थे। सामान्यत: 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रावधान किया गया था। भारत के विभाजन के उपरांत संविधान सभा में 299 सदस्य शेष रह गये थे, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया।

संविधान निर्मात्री सभा का गठन -भारत में संविधान सभा की मांग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी थी। 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किये गए स्वराज विधेयक, महात्मा गांधी के 5 जनवरी 1922 का कथन कि ''भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा'' तथा फरवरी 1924 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में सम्पन्न राष्ट्रीय सम्मेलन, मई 1934 में स्वराज दल के पटना सम्मेलन आदि की स्पष्ट मांग का परिणाम ही संविधान निर्मात्री सभा थी।

तत्कालीन परिस्थितियों के कारण संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार से सम्भव नहीं था इसमें विलम्ब अधिक हो रहा था। अत: प्रान्तीय विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में किया गया। उस समय यही एकमात्र व्यवहारिक उपाय था।

स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रमुख नेताओं ने संविधान निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया। संविधान सभा में डा. राजेन्द्र प्रसाद, पं. जवाहर लाल नेहरु, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बल्देव सिंह आदि ने विचार-विमर्श के समय संविधान सभा का पथ प्रदर्शन करने में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया।

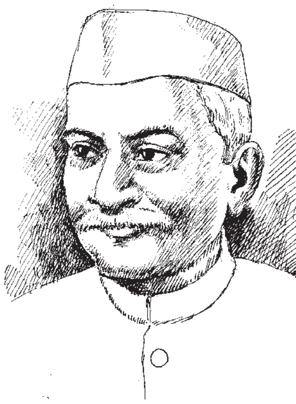

डा. राजेन्द्र प्रसाद

फ्रेंक एन्थोनी, ऐंग्लो इण्डियन तथा एच.पी.मोदी, पारसी समुदाय के प्रतिनिधि थे। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, के. एम. मुंशी संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ, सरोजनी नायडू व विजय लक्ष्मी पंडित प्रमुख महिला सदस्य थीं तथा बी. एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे।

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई, जिसमें डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसम्बर 1946 को हुई, जिसमें डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की 2 वर्ष, 11 माह एवं 18 दिन की कार्य अवधि में कुल 11 अधिवेशनों में 166 बैठकें हुईं।

नवनिर्मित संविधान 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर अंगीकार किया गया। संविधान के कुछ उपबन्धों जैसे नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद आदि को तुरन्त प्रभावी किया गया। संविधान 26 जनवरी 1950 से पूर्णरूपेण लागू हो गया था। इसी तिथि को संविधान के लागू होने की तिथि कहा गया है।

तत्कालीन मध्यप्रांत और बरार, मध्य भारत राज्य समूह (भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, एवं रीवा) से संविधान सभा में जो सदस्य थे उनमें पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविन्द दास, हरिविष्णुकामथ, घनश्याम सिंह गुझ, गोपीकृष्ण विजयवर्गीय, राधावल्लभ विजयवर्गीय, ठा. लालसिंह आदि प्रमुख थे।

12.3 प्रारूप समिति

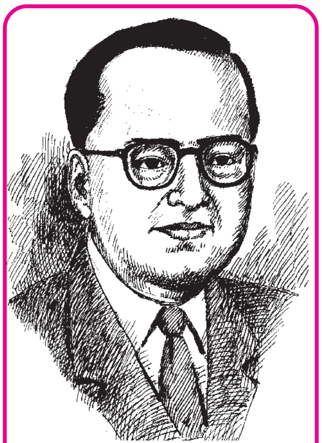
डॉ. भीमराव अम्बेडकर

भारत के संविधान का निर्माण कार्य सरल नहीं था, अत: संविधान निर्माण को सुगम बनाने के लिए विभिन्न समितियाँ बनाई गईं। प्रक्रियागत मामलों से सम्बन्धित 10 समितियाँ एवं तथ्यगत मामलों की 8 समितियाँ बनाई गयी थीं। इनमें प्रमुख समितियाँ थीं- प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों आदि से सम्बंधित समितियाँ।

उपरोक्त समस्त समितियों के प्रतिवेदनों एवं सुझावों के अनुसार संविधान को अंतिम स्वरूप देने हेतु एक प्रारूप समिति (Drafting Committee) बनाई गई। प्रारूप समिति का सभापति डॉ. भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। इस समिति में एन. गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादीकृष्णा स्वामी अय्यर, सैय्यद मोहम्मद सादुल्ला, के. एम. मुंशी, बी. एल. मित्तर, डी. पी. खेतान सदस्य थे। बाद में श्री मित्तर व खेतान का स्थान एन. माधवन रॉव व टी. टी. कृष्णामाचारी ने ले लिया।

संविधान का लिखित प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया। संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर विस्तृत एवं क्रमवार चर्चा की गई।

12.4 भारतीय संविधान की प्रस्तावना

संविधान की प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के लक्ष्यों, मूल्यों एवं विचारों का समावेश किया हैं। इसे संविधान की आत्मा अथवा कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मनोभावना एवं संकल्प का प्रतीक है।

प्रस्तावना के प्रारम्भिक शब्दों में ही यह भाव निहित है कि संविधान का निर्माण जनता की इच्छा से ही हुआ है व अंतिम सत्ता जनता में निहित है। प्रस्तावना में संविधान सभा के इस संकल्प की घोषणा है कि भारत सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य होगा। 1976 में 42 वें संविधान संशोधन द्वारा भारत को समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है।

देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करना केवल राज्य का ही नहीं वरन् प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए** तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय**;
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता**;
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त करने के लिए

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और **राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित** करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए;

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

12.5 भारतीय संविधान की विशेषताएँ

भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएँ हैं इनमें से प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार है –

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

- **लिखित एवं विस्तृत संविधान**
- **कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण**
- **सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य**
- **समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष राज्य**
- **संसदीय शासन प्रणाली**
- **संघात्मक शासन व्यवस्था**
- **स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका**
- **नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार एवं मूल कर्त्तव्य**
- **राज्य के नीति निर्देशक तत्व**
- **सार्वभौम वयस्क मताधिकार**

1. **लिखित एवं विस्तृत संविधान–** भारत का संविधान लिखित और निर्मित्त संविधान है, जिसका निर्माण विधिवत् गठित संविधान सभा द्वारा किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। भारत के वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं जो 22 भागों में विभाजित है। जबकि अमेरिका के संविधान में 7, कनाडा के संविधान में 147 और आस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद ही है।

2. **कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण –** संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान का वर्गीकरण कठोर अथवा लचीला के रुप में किया जाता है। यदि किसी देश का संविधान उसी प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है, जिस प्रक्रिया से साधारण विधि का निर्माण होता है तो सम्बंधित संविधान लचीला अथवा परिवर्तनशील कहलाता है, परन्तु यदि किसी संविधान के संशोधन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया अपनायी जाती है तो वह संविधान कठोर कहा जाता है। भारत के संविधान में संशोधन की तीन प्रक्रियाओं का उल्लेख है, जिसके अनुसार संविधान के कुछ प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से, कुछ प्रावधानों में विशिष्ट बहुमत से तथा महत्वपूर्ण शेष प्रावधानों में संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ–साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से बदले जा सकते हैं। इस दृष्टि से भारत का संविधान लचीला व कठोर का सम्मिश्रण है।

3. **सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य–** सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न का अर्थ यह है कि भारत अपनी आंतरिक व विदेश नीति का निर्धारण स्वयं करेगा। भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है व भारत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है।

4. **समाजवादी एवं पंथनिरपेक्षता –** समाजवादी राज्य से अभिप्राय है कि भारतीय व्यवस्था 'समाज के समतावादी ढाँचे' पर आधारित होगी। प्रत्येक भारतीय की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। भारतीय परिस्थिति के अनुसार समाजवाद को अपनाया जाएगा।

संविधान में पंथनिरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। इसका अर्थ है कि राज्य सभी पंथों की समान रुप से सम्मान करेगा और किसी पंथ विशेष को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। सरकार द्वारा नागरिकों के मध्य पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है।

5. **संसदीय शासन प्रणाली –** भारतीय संविधान द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद् में निहित होती हैं तथा राष्ट्रपति नाममात्र का शासक होता है। इस प्रणाली में मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का अनुसरण करती हैं। लोक सभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है।

6. **संघात्मक शासन व्यवस्था –** भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ हैं। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। संविधान ने शासन की शक्ति को एक स्थान पर केन्द्रित न कर केन्द्र और राज्य सरकारों में विभाजित किया है, और दोनों ही अपने–अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। संविधान लिखित और बहुत सीमा तक कठोर है और इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। सर्वोच्च

न्यायालय को संविधान का रक्षक घोषित किया गया है, उसे संविधान की व्याख्या करने और केन्द्र व राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों के निर्णय का अधिकार है।

7. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका – नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होने के कारण न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित किया गया है। संविधान न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार देता है जिसके अर्न्तगत न्यायपालिका संसद तथा विधानमण्डलों द्वारा पारित कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी ऐसे आदेशों को अवैध घोषित कर सकती हैं जो संविधान के प्रतिकूल हैं।

संविधान द्वारा न्यायपालिका को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। न्यायपालिका की निष्पक्षता मूल रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनको हटाये जाने की पद्धत्ति और उनकी कार्यविधि एवं सेवा शर्तों पर निर्भर करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक प्रक्रिया को अपनाए जाने के उपरांत की जाती है लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। न्यायधीशों के कार्यकाल में उनका वेतन भत्ता घटाया नहीं जा सकता। इस व्यवस्था से न्यायाधीश कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रहते हैं।

8. मौलिक अधिकार एवं मूल कर्त्तव्य – नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु मौलिक अधिकार आवश्यक हैं। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ये ऐसे अधिकार हैं जो न्याय योग्य हैं अर्थात जिनका उल्लंघन होने पर नागरिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को छः मौलिक अधिकार प्रदान किए गए है। इन अधिकारों को संकटकाल में प्रतिबंधित किया जा सकता है।

मौलिक अधिकार

1. **समानता का अधिकार**
2. **स्वतंत्रता का अधिकार**
3. **शोषण के विरुद्ध अधिकार**
4. **धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार**
5. **संस्कृति व शिक्षा का अधिकार**
6. **संवैधानिक उपचारों का अधिकार**

संविधान के 42 वें संशोधन (1976) के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य' जोड़े गये हैं। उसके द्वारा नागरिकों के 11 कर्तव्य निश्चित किए गए हैं।

मूल कर्तव्य

भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह –

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
3. भारत की सम्प्रभुत्ता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।
4. देश की रक्षा करे और आव्हान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और इसका परिरक्षण करे।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका सम्वर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दया रखे।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।
11. यदि माता पिता या संरक्षक है, छह वर्ष तक कि आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

9. राज्य के नीति निदेशक तत्व – भारतीय संविधान के चौथे भाग में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, इन्हें राज्य के नीतिनिर्धारण करने वाले निर्देशक तत्व कहा गया है। ये तत्व आधुनिक प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते है। नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता किन्तु ये तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। इन तत्वों के माध्यम से भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया है।

10. सार्वभौम वयस्क मताधिकार – संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। वयस्क मताधिकार का अर्थ प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित आयु पर वोट (मत) देने के अधिकार से है। हमारे संविधान में यह मताधिकार 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को किसी धर्म, वंश, जाति, वर्ण, लिंग, जन्मस्थान के भेदभाव के बिना समान रूप से दिया गया है।

11. इकहरी नागरिकता – भारतीय संविधान ने इकहरी नागरिकता को अपनाया है अर्थात प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है चाहे वह किसी भी स्थान पर निवास करता हो वह अपने राज्य जैसे – मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि का नागरिक नहीं होता है। भारत के सभी नागरिक देश में कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं तथा देश के सभी भागों में समान अधिकारों का प्रयोग कर सकते है।

भारतीय संविधान केवल एक राजनीतिक प्रलेख (दस्तावेज) ही नहीं है, अपितु इससे बहुत अधिक है। भारत का संविधान भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अस्मिता को अपने अन्दर समेटे हुए है। संविधान की मूल हस्तलिपि प्रति में भारत की पाँच हजार वर्ष से अधिक की सुदीर्घ एवं अनवरत रूप से प्रवाहित सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विरासत को निदर्श चित्रों के द्वारा चित्रित किया गया है, भारतीय संविधान के मूल प्रलेख में बाईस अध्याय हैं। इसी कारण भारत के इतिहास के निदर्श चित्र प्रत्येक अध्याय के पूर्व चित्रित हैं।

इन चित्रों में मोहनजोदड़ो और वैदिक काल से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक के चित्र हैं, जिनमें मोहनजोदड़ों काल की बैलयुक्त मुहर, लंका पर विजय के बाद सीता के साथ पुष्पक विमान में वापस आते हुए श्रीराम, योगीराज श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, अकबर तथा पृष्ठभूमि में मुगल वास्तुकला, शिवाजी, गुरु गोविन्द सिंह, टीपू सुल्तान, महात्मा गाँधी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा, हिमालय, हिन्द महासागर आदि प्रमुख हैं। वस्तुत: संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि किसी भी देश के निवासियों का जीवन उस देश की सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव के साथ जुड़ा रहता है तथा किसी भी देश की पहचान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था या मान्यताओं से ही नहीं अपितु उसकी संस्कृति, परम्परा, विश्वास और राष्ट्रीय भावना से होती है।

शब्दावली

संविधान सभा – वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए उसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है।

अप्रत्यक्ष चुनाव – ऐसा चुनाव जिसमें जनता स्वयं भाग नहीं लेती वरन् उसके प्रतिनिधि किसी का चुनाव करते हैं तो ऐसे चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है।

संघीय स्वरुप – देश में केन्द्र व राज्यों (प्रान्तों) की सरकार होना व इनके मध्य शक्तियों का विभाजन होना।

अधिकार – विधि द्वारा मान्य एवं संरक्षित हित।

कर्त्तव्य	-	राज्य अथवा व्यक्ति से अपेक्षाएँ, इनका आधार नैतिकता है।
सार्वभौमिकता	-	सब पर समान रूप से लागू नियम अथवा कानून।
अनुच्छेद	-	संविधान में सम्मिलित धाराएँ।
समाजवाद	-	समाज के समतावादी ढ़ाँचे पर आधारित व्यवस्था।

अभ्यास

सही विकल्प चुनिए -

1. संविधान है -
   (i) सरकार का गठन
   (ii) देश का शासन
   (iii) नियम व कानूनों का संकलित प्रलेख
   (iv) मौलिक अधिकार

2. निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है -
   (i) संसदीय शासन प्रणाली
   (ii) संघात्मक शासन
   (iii) स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका
   (iv) अलिखित संविधान

3. संविधान में मौलिक कर्त्तव्य कितने बताए गए है -
   (i) 6
   (ii) 14
   (iii) 18
   (iv) 11

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. संविधान सभा के अध्यक्ष .... थे।
2. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर संविधान की .... के अध्यक्ष थे।
3. भारत का नव निर्मित संविधान संविधानसभा द्वारा .... को अंगीकृत किया गया।
4. समानता का अधिकार संविधान में वर्णित .... में से एक है।

सही जोड़ी बनाइए -

क.	संविधान सभा के अध्यक्ष	सेठ गोविंद दास
ख.	भारतीय संविधान की विशेषता	पंथ निरपेक्षता
ग.	संविधान की प्रारुप समिति के अध्यक्ष	मौलिक कर्त्तव्य
घ.	मध्यप्रदेश से संविधान सभा के सदस्य	डा. राजेन्द्र प्रसाद
ङ.	सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना	डा. अम्बेडकर

अतिलघुत्तरीय प्रश्न-

1. संविधान क्या है?
2. भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया है?
3. संविधान में मौलिक कर्त्तव्य कब जोड़े गए?

लघुउत्तरीय प्रश्न -

1. संविधान का क्या महत्व है? लिखिए।
2. संविधान सभा का परिचय दीजिए।
3. मध्यप्रदेश से संबंधित संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के नाम लिखिए।
4. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से क्या आशय है?
5. संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है?
6. समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता का आशय समझाइए।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न -

1. भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
2. भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत क्यों है? वर्णन कीजिए।
3. संघात्मक व संसदीय शासन व्यवस्था का वर्णन करिए।
5. संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्यों का वर्णन कीजिए।